न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थित सुश्री निधि, उच्चतर न्यायिक सेवा (यू0पी0 2679)

सत्र वाद सं0 133/2022

राज्य बनाम सौरभ आदि

मु0अ0सं0 49/2022
धारा 307,34,323,504 भा0दं0सं0
थाना नानौता, जिला सहारनपुर।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–319 दं0प्र0सं</u>

<u>दिनांक 07.10.2023</u>

1. पुकारा गया। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उपस्थित। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्तगण परीक्षित उर्फ शुभम, सौरभ व ध्रुव का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र स्वीकृत। आवेदक सुभाष पुत्र रणजीत निवासी ग्राम तिलफराऐनाबाद थाना नानौता जिला सहारनपुर के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र 7ख अन्तर्गत धारा–319 दं०प्र०सं० दिनांकित 02.06.2023 परीक्षित पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम जैदपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर को सत्र परीक्षण में सहअभियुक्त के तौर पर विचारण हेतु तलब किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रार्थना पत्र को विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा सबमिट किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7ख में कथन किया गया है कि प्रार्थी उक्त वाद में वादी/रिपोर्टकर्ता है तथा घटना का चश्मदीद गवाह है। उपरोक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नानौता पर मुलजिमान सौरभ पुत्र संजीव उर्फ संजू व परीक्षित उर्फ शुभम पुत्र संजीव उर्फ संजू निवासीगण ग्राम कमालपुर बकडोली थाना नानौता जिला सहारनपुर व ध्रुव पुत्र संजय उर्फ टीनू व परीक्षित पुत्र चरण सिंह निवासीगण ग्राम जैदपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर के विरूद्ध नामजद दर्ज हुई थी, जिसमें सभी मुलजिमान सौरभ, परीक्षित उर्फ शुभम, ध्रुव व परीक्षित के द्वारा घटना घटित किया जाना कहा गया है तथा ये सभी इस घटना में सम्मिलित रहे है। उक्त वाद में पुलिस ने मुलजिमान से साज करके सभी मुलजिमान के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद केवल तीन मुलजिमान परीक्षित उर्फ शुभम, ध्रुव व सौरभ के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया तथा एक मुलजिम परीक्षित पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम जैदपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर का नाम गलत तरीके से निकाल

दिया था और इसके विरूद्ध पुलिस ने आरोप पत्र नहीं भेजा है, जबकि उसके द्वारा भी उक्त वाद की घटना घटित की गयी है। उक्त वाद में प्रार्थी वादी चश्मदीद साक्षी पी0डब्लू0 1 सुभाष पुत्र रणजीत का साक्ष्य न्यायालय में हुआ है तथा पी0डब्लू0 1 के द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य में मुलजिमान परीक्षित उर्फ शुभम, ध्रुव व सौरभ के अलावा शेष मुलजिम परीक्षित द्वारा घटना घटित किया जाना कहा गया है तथा ये चारों मुलजिमान घटना में सम्मिलित रहे है तथा इन मुलजिमान का घटना में सम्मिलित होने का पूर्ण साक्ष्य दिया गया है। उक्त सभी मुलजिमान के विरूद्ध घटना कारित किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है तथा इन उक्त तीनो मुलजिमान के साथ मिलकर मुलजिम परीक्षित के द्वारा घटना घटित किया जाना सिद्ध है। न्यायहित में उक्त मुलजिम परीक्षित पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम जैदपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर को उपरोक्त वाद में तलब किया जाकर उसका विचारण भी सहअभियुक्त परीक्षित उर्फ शुभम, ध्रुव व सौरभ के साथ किया जाना आवश्यक है।

3. वादी की ओर से निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी है–

I. [Rajesh vs State of Haryana Crim. Appeal No 813 of 2019 S.C.]

II. [Dilshad vs State of U.P. Crim. Misc. Bail Application No 18988 of 2021 H.C.]

III. [Prabhakar Pandey vs State of U.P. and others Writ- A No-37846 of 1998 H.C.]

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. दिनांक 04.03.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 49/2022 सौरभ पुत्र संजीव उर्फ सन्जू, परीक्षित उर्फ शुभम पुत्र संजीव उर्फ सन्जू निवासीगण ग्राम कमालपुर बकडौली थाना नानौता जिला सहारनपुर, ध्रुव पुत्र संजय उर्फ टीनू, परीक्षित पुत्र चरण सिंह निवासीगण ग्राम जैदपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 307, 34, 323, 504 भा0दं0सं0 थाना नानौता जिला सहारनपुर में दर्ज हुई। विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र संख्या 105/2022 दिनांकित 18.05.2022 अभियुक्तगण सौरभ पुत्र संजीव उर्फ सन्जू, परीक्षित उर्फ शुभम पुत्र संजीव उर्फ सन्जू निवासीगण ग्राम कमालपुर बकडौली थाना नानौता जिला सहारनपुर व ध्रुव पुत्र संजय उर्फ टीनू निवासी ग्राम जैदपुरा थाना नानौता जिला सहारनपुर के विरूद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व संकलित साक्ष्यों (अवलोकन सी0डी0आर0 व सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फुटेज आदि) के आधार पर अभियुक्त

परीक्षित पुत्र चरण सिंह का घटना में शामिल होना नहीं पाया गया एवं उसका नाम अभियोग से विलोपित किया गया।

5. पी0डब्लू0 1 वादी मुकदमा सुभाष ने न्यायालय में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 04.03.2022 को दिन में करीब 01:30, 02:00 बजे की घटना है। मेरे परिवार के शिवनाथ पुत्र धीर सिंह, शिवम पुत्र शिवनाथ, विशाल पुत्र मुकेश नानौता में फल सब्जी मण्डी में गये थे। वहां पर सौरभ पुत्र संजीव, परीक्षित पुत्र संजीव निवासी कमालपुर बकडौली, ध्रुव पुत्र संजय, परीक्षित पुत्र चरण सिंह निवासी ग्राम जैदपुरा अपने हाथों में चाकू, गडासी व डन्डे से मेरे परिवार वालो पर जानलेवा हमला किया और जान से मारने की नीयत से हमला करने के बाद वहां से चले गये। फरार हो गये। इस मारपीट में शिवनाथ पुत्र धीर सिंह, शिवम पुत्र शिवनाथ, निशान्त पुत्र मुकेश को चोटे आयी थी। मौके पर मेरे गांव के कुछ अन्य लोग भी थे जिनमें दीपक पुत्र सुखवीर, रामभूल पुत्र राजकुमार व अन्य लोग भी थे। चुटैल शिवनाथ बी0एस0एफ0 में नौकरी करता है। इलाज के लिए इनको सरकारी अस्पताल नानौता लेकर गये थे। गम्भीर चोट होने के कारण तीनों को सहारनपुर रैफर कर दिया था। सहारनपुर से शिवनाथ व शिवम को चण्डीगढ रैफर कर दिया था। लेकिन हमने इनका इलाज मुलाना कराया था और निशान्त को मेरठ रैफर कर दिया था। घटना की तहरीर मैंने थाना नानौता पर दी थी। पत्रावली पर कागज सं0 3/3 तहरीर को देखकर कहा यह वही तहरीर है जो मैंने थाना नानौता पर दी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क 1 डाला गया।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त सौरभ, परीक्षित उर्फ शुभम पुत्र संजीव उर्फ सन्जू, ध्रुव, परीक्षित पुत्र चरणसिंह के विरूद्ध दर्ज हुई जबकि विवेचना के पश्चात आरोप पत्र संख्या 105/2022 अभियुक्तगण सौरभ, परीक्षित उर्फ शुभम पुत्र संजीव, ध्रुव के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 307/34, 323, 504 भा0दं0सं0 में प्रस्तुत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही व संकलित साक्ष्यों (अवलोकन सी0डी0आर0 व सी0सी0टी0वी0 कैमरों की फुटेज आदि) के आधार पर अभियुक्त परीक्षित पुत्र चरण सिंह का घटना में शामिल होना नहीं पाया गया एवं उसका नाम अभियोग से विलोपित किया गया। सी0डी0 11 में परीक्षित कुमार पुत्र चरण सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र का वर्णन है जो उसने शिकायत जांच प्रकोष्ठ जनपद सहारनपुर में दिया है जो बाद में एस0ओ0 द्वारा विवेचक को जांच हेतु आदेशित किया गया। प्रार्थना पत्र में उसने घटना के दिन अन्य स्थान पर होना व घटना के समय घटनास्थल पर न होना बताया है व शपथकर्ताओं द्वारा उसका सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकॉडिंग है नाम होना बताया है।

सी0डी0 12 में क्रम संख्या 9 पर विवरण में चरण सिंह पुत्र जिला सिंह के घर में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकॉर्डिंग विवेचक द्वारा चैक की गयी, जिसमें अभियुक्त परीक्षित पुत्र चरण सिंह दिनांक 04.03.2022 को समय 13:35 बजे व 14:16 बजे कैमरे में दिखाई दे रहा है जबकि घटना समय 14:00 बजे की है। घटनास्थल से ग्राम दथैडा की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। घटना के समय परीक्षित पुत्र चरण सिंह का मौके पर उपस्थित होना सम्भव नहीं है। मकान मालिक चरण सिंह पुत्र जिला सिंह द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अन्तर्गत नोटिस प्रदान कर हस्ताक्षर दिए गये एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा की रिकॉर्डिंग सी0डी0 में ली गयी।

7. विधि व्यवस्था राजेश कुमार सिंह बनाम स्टेट आफ यू०पी० व अन्य 2012(2) जे०आई०सी० पेज 533 इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 319 दं०प्र०सं० के प्रावधानों के तहत किसी को अभियुक्त के रूप में विचारण हेतु तभी समन किया जा सकता है जब इतना पर्याप्त साक्ष्य हो कि उसे दोषसिद्व किया जा सकता है ।

8. राम सिंह व अन्य बनाम रामनिवास व अन्य 2010 (1)ए०सी०सी०(क्राइम)1276 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय को धारा 319 द०प्र०सं० के तहत अपने विशेषाधिकार को प्रयोग किये जाते समय स्वय में सन्तुष्ट कर लिया जाना चाहिये कि उक्त अभियुक्त के विरूद्व पर्याप्त मामला बनता है। इस अधिकार का प्रयोग सामान्यक्रम में नहीं होना चाहिये जहाँ अतिविशिष्ट परिस्थितियाँ मौजूद हो तभी तलब करना चाहिये ।

9. न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब एवं अन्य 2014(85) ए०सी०सी० 313 विधि व्यवस्तथा का अवलोकन किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था स्थापित की गयी है कि धारा 319 दं.प्र.सं. के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय की सन्तुष्टि उतनी होनी चाहिए जितनी आरोप विरचित करते समय होती है।

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस सी0सी0टी0वी0 कैमरे की रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की गयी है वह ग्राम दथैडा में है एवं घटनास्थल से उस स्थान की दूरी 50 किलोमीटर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का समय दिनांक 04.03.2022 को 14:00 बजे अंकित है। सी0सी0टी0वी0 कैमरे की फुटेज सी0डी0 में पत्रावली पर उपलब्ध है। धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सर्टिफिकेट भी पत्रावली पर उपलब्ध है। तहरीर में प्रार्थी सुभाष ने घटना का समय दिनांक 04.03.2022 को करीब 02:00 बजे दिन का बताया है। इतनी दूरी

तय करके वापिस आने पर यह सम्भव नहीं है कि परीक्षित पुत्र चरण सिंह वापिस गांव 14:16 बजे पहुंच पाता। विवेचक द्वारा साक्ष्यों व सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर परीक्षित पुत्र चरण सिंह का नाम विवेचना से विलोपित किया। यह वैज्ञानिक साक्ष्य है। पी0डब्लू 1 वादी ने परीक्षित पुत्र चरण सिंह का नाम अपने साक्ष्य में लिया है परन्तु वैज्ञानिक साक्ष्य को झुठलाया नहीं जा सकता। यदि यह गांव इतनी पास होता कि घटना कारित करने के बाद वह आराम से गांव पहुंच जाता तो स्थिति भिन्न हो सकती थी।

11. अतः वाद के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त परीक्षित पुत्र चरण सिंह को इस मामले में विचारण हेतु सहअभियुक्त के तौर पर तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7ख तदनुसार निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियोजन द्वारा सत्र वाद सं0 133/2022 राज्य बनाम सौरभ आदि, मु0अ0सं0 49/2022 धारा 307, 34, 323, 504 भा0दं0सं0 थाना नानौता, जिला सहारनपुर के मामले में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० 7ख अंतर्गत धारा 319 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है। दिनांक 25.10.2023 को पत्रावली वास्ते साक्ष्य पेश हो।

दिनांकः 07.10.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, जिला सहारनपुर।

Digitally signed by NIDHI
Date: 2023.10.07 16:02:28 NOVT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Deoband, Saharanpur